


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पिताम्बर बनाम फस्ट हाउस बजट होम्स प्रा.लि. अपील संख्या 383/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00188)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

26.07.22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के मध्य समझौता होकर दोनों के मध्य दिनांक 08.07.2022 को एक एम. ओ. यू. व लोन एग्रीमेन्ट हुआ है व मुताबिक एम.ओ.यू. व लोन एग्रीमेन्ट के अब हम अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 के मध्य आदेश दिनांक 08.02.2016 को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है इसलिये अपीलान्त अपनी अपील नहीं चलाना चाहते व मुताबिक समझौता हर पक्ष खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। ऐसी सूरत में अपीलान्त अपनी अपील विद्धो करने चाहते हैं। अतः अपील अपीलान्त विद्धो की जाकर खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के मध्य समझौता हो जाने से अपीलान्त स्वयं ही अपनी अपील को विद्धो करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा अपनी अपील को विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।


(विकास एस.भाले)
 संभागीय आयुक्त,
 जयपुर।